रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 241] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 17, 1973/आश्विन 25, 1895

No. 241] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 17, 1973/ASVINA 25, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 17th October, 1973

SUBJECT :—*Import Policy for Registered Exporters for the period April 1973-March 1974. (Amendment No. 45)*

No. 171-ITC (PN)/73.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book-Volume II) for the period April, 1973-March 1974 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 46-ITC (PN)/73 dated the 2nd April, 1973.

2. The following amendments may be made at the appropriate places indicated below :—

Page No. of the Red Book (Vol. II)	Reference	Amendment
1	2	3
153	L2.1. Col. 5 (1)	The ceiling price may be amended from Rs. 65 per kg. to Rs. 145 per kg. In the case of embroidered shawls and rumals, the percentage increase may be amended from 20% to 10%.

1	2	3
153	L.2.2 / Col. 5(2)	The ceiling price may be amended from Rs. 65 per kg. to Rs. 74 per Kg.
154	L.2.4. / Col. 5(1)	The existing Remark (1) may be amended to read as under :— "The ceiling price (vide General Note (1) for products falling under this entry will be as follows :— (a) Rs. 173 per Kg. in the case of fabrics containing not less than 80% Wool by weight, and (b) Rs. 102 per kg. in the case of fabrics containing a mixture of wool (not less than 20% but less than 80% by weight with any non-cellulosic synthetic fibre having not less than 20% by weight."
154-155	L·3·1 / Col. 5 (1)	The ceiling price may be amended from Rs. 75 per Kg. to Rs. 120 per kg. In the case of figurative design, ornamental embriodery revers ble etc., the percentage increase may be amended from 15% to 10%.
156	L.4 / Col. 5(2)	The ceiling prices may be amended from Rs. 35 per kg. to Rs. 100 per Kg. for grey yarn and from Rs. 45 per Kg. to Rs. 105 per Kg. for dyed yarn."

3. The revised ceiling as contained in this Public Notice willbe applicable in respect of exports made on or after 1st January 1973, if otherwise admissible. In cases where applications have already been made or disposed of on the basis of the existing ceiling prices, the requests for additional entitlement, if any, based on the provisions of this Public Notice, will be entertained by the licensing authorities concerned upto 31-12-1973.

S. G. BOSE MULLICK,

Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1973 ।

विषय.—अप्रैल, 1973-मार्च, 1974 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या 45) ।

संख्या 171/आई० टी० सी० (पी० एन०)/73—वाणिज्य मंत्रालय के सार्वजनिक सूचना संख्या : 46 आई० टी० सी० (पी० एन०)/73, दिनांक 2–4–73 के अन्तर्गत अप्रैल, 1973–मार्च, 1974 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रेडबुक के वा० -2) में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन निम्न निर्दिष्ठानुसार उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं :—

रेड बुक (भाग 2) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3
153	एल० 2.1 कालम 5(1)	उच्चतम मूल्य सीमा को 65 रुपये प्रति कि० से 145 रुपये प्रति कि० ग्रा० तक संशोधित किया जाए। कढ़ाई किए हुए दुशालों और रूमालों के मामले में बढ़ी हुई प्रतिशतता को 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक संशोधित किया जाए।
153	एल० 2.2 कालम 5(2)	उच्चतम मूल्य सीमा को 65 रुपये प्रति कि० से 74 रुपये प्रति कि० तक संशोधित किया जाए।
154	एल० 2.4 कालम 5(1)	वर्तमान टिप्पणी (1) को संशोधित कर भिन्न प्रकार से पढ़ा जाए :— "इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले उत्पादनों के लिए उच्चतम मूल्य सीमा निम्नलिखित होगी—देखिए सामान्य टिप्पणी (1) (क) एसे वस्त्रों के मामले में जिसमें वजन में ऊन 80 प्रतिशत से कम नहीं है—173 रुपये प्रति कि०, और (ख) ऐसे वस्त्रों के मामले मे जिसमें वजन में 20% से कम किसी गैर-सेलूलोज सिंथेटिक फाइबर के साथ ऊन मिश्रण (20 प्रतिशत से कम नहीं किन्तु वजन में 80 प्रतिशत से कम) नहीं है-102 रूपये प्रति कि०।"
154, 155	एल० 3.1 कालम 5(1)	उच्चतम मूल्य सीमा को 75 रुपये प्रति कि० से 120 रुपये प्रति कि० तक संशोधित किया जाए। आलंकारी डिजाइन, आलांकारिक कढ़ाई प्रतिवर्ती आदि के मामले में बढ़ी हुई प्रतिशतता को 15 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक संशोधित किया जाए

1	2	3
156	एल० 4 कालम 5(2)	भूरे धागे के लिए, उच्चतम मूल्य प्रतिशतता को 35 रु० प्रति कि० से 100 रुपये प्रति कि० तक संशोधित किया जाए तथा रंगीन धागे के लिए 45 रुपये प्रति कि० से 105 रुपये प्रति कि० तक संशोधित किया जाए ।

3. इस सार्वजनिक सूचना में आई हुई परिशोधित मूल्य सीमाएं 1 जनवरी 1973 को या उसके बाद लिए गये आयतों के सम्बन्ध में लागू होंगी बशर्ते कि अन्यथा अनुमय हों। उन मामलों में जिनमें आवेदन पहले ही कर दिये गये हैं या उनका निपटान वर्तमान उच्चतम मूल्य सीमा के आधार पर कर दिया गया है, तो इस सार्वजनिक सूचना की व्यवस्थाओं पर आधारित अतिरिक्त हकदारी के लिए यदि कोई हकदारी हो तो आवेदन संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा 31-12-73 तक लिए जायेंगे।

एस० जी० बोस मल्लिक,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973